पत्रॉक–विधि–4(1)–वैट–परिपत्र भाग–2(09–10)/827/ 0910047 / वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(विधि अनुभाग)
लखनऊ/दिनांक /सितम्बर 03 ,2009

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 1–1–08 से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम लागू हो जाने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 07–08 के प्रथम 9 माह में अर्थात् 31–12–08 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के लागू होने तथा अन्तिम 3 माह अर्थात् 1–1–08 ो 31–3–08 तक मूल्य संवर्धित कर अधिनियम लागू होने के कारण फील्ड में कर निर्धारक अधिकारियों के स्तर पर यह भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत व उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण करने के सम्बन्ध में क्या उपरोक्त दो अवधियों के लिए अलग–अलग आदेश पारित किये जायेंगे अथवा पूरे वर्ष के लिए एक कर निर्धारण आदेश पारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर इस बिन्दु पर भी अस्पष्टता है कि मौद्रिक सीमा के अनुसार डिप्टी कमिश्नर एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर के बीच वादों के विभाजन का क्या आधार होगा। इन समस्त बिन्दुओं पर स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जा रही है :–

1– केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा (k) के प्राविधान निम्न प्रकार हैः–

"Year", in relation to a dealer means the year applicable in relation to him under the general sales tax law of the appropriate State and where there is no such year applicable, the financial year."

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा (i) के प्राविधान निम्न प्रकार हैः–

"Sales tax law" means any law for the time being in force in any State or part thereof which provides for the levy of taxes on the sale or purchase of goods generally or on any specified goods expressly mentioned in that behalf and includes value added tax law and general sales tax law" means any law for the time being in force in any State or part thereof which provides for the levy of tax on the sale or purchase of goods generally and includes value added tax law."

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि राज्य के सामान्य बिक्रीकर अधिनियम के अनुसार जिस प्रकार कर निर्धारण की कार्यवाही होगी उसी प्रकार केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही होगी। वर्ष 2007–08 में दिनांक 1–4–07 से 31–12–07 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम प्रभावी रहा है। अतः इस अवधि के लिए व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित होंगे तथा उपरोक्त वर्णित विधिक व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के तहत भी दिनांक 1–1–07 से 31–12–07 तक का आदेश पारित होगा तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 9 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लिमिटेशन उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 21 के अनुरुप रहेगी। इसी प्रकार दिनांक 1–1–08 से मूल्य संवर्धित कर अधिनियम लागू होने के कारण दिनांक 1–1–08 से 31–3–08 तक की अवधि के लिए मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी तथा 1–1–08 से 31–3–08 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित होंगें तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 9 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लिमिटेशन उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 29 के अनुरुप रहेगी। इस प्रकार वर्ष 07–08 में

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत दो अवधियों के लिए दो अलग–अलग आदेश पारित किये जायेंगे।

2– उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम चूंकि राज्य का अधिनियम है तथा यह अधिनियम पूरे वित्तीय वर्ष में लागू रहा है। अतः इस अधिनियम के तहत वर्ष 07–08 में एक ही कर निर्धारण आदेश पारित किया जायेगा।

3– जहॉ तक कर निर्धारण अधिकारियों के मध्य मौद्रिक सीमा के अनुसार वादों के विभाजन का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पारित होने वाले कर निर्धारण आदेशों का तत्समय प्रचलित मौद्रिक सीमा लागू होगी तथा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत पारित होने वाले कर निर्धारण आदेशों के सम्बन्ध में मूल्य संवर्धित कर अधिनियम लागू होने के पश्चात् इस सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्रों में निहित मौद्रिक सीमा लागू होगी तथा उसी के अनुरुप कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आदेश पारित किये जायेंगें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

ह0/–
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक – उक्त।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री एच0एन0राव/श्री एस0सी0द्विवेदी संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0)/(अपील)/कॉरपोरेट सर्किल/ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
9. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
10. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5–5 तथा 10 प्रतियां।
11. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

ह0/–
(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।